

प्रेस नोट दिनांक 20.02.2023

थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।

थाना बहेड़ी #bareillypolice द्वारा दौराने पुलिस मुठभेड गो-तस्कर अभियुक्त फरमान उर्फ अय्या को किया गिरफ्तार, कब्जे से वध करने हेतु उपयोग में लिये जाने वाला सामान/उपकरण बरामद ।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा जनपद में गो-तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेड़ी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा घुमन्तु गौवंशीय पशुओं को पकड़कर उनका वध करने हेतु ले जा रहे अभियुक्त फरमान उर्फ अय्या पुत्र इब्राहीम निवासी मो0 टांडा थाना बहेड़ी जनपद बरेली को ग्राम रुड़की रोड़ पर पॉलिटैक्निक स्कूल के पास गन्ने का खेत समय 02.05 बजे गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया । पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में अभियुक्त फरमान के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है तथा उसके दो साथी अभियुक्तगण अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये है । पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ के दौरान घायल अभियुक्त ने अपना फरमान उर्फ अय्या पुत्र इब्राहीम निवासी मो0 टांडा थाना बहेड़ी जनपद बरेली बताया है । पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल बरेली में भर्ती कराया गया है । अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- फरमान उर्फ अय्या पुत्र इब्राहीम निवासी मो0 टांडा थाना बहेड़ी जनपद बरेली

फरार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.अतीक पुत्र लईक अहमद निवासी मो0 शेखूपुर थाना बहेड़ी जनपद बरेली
- 2.आजम पुत्र आसिफ लंगड़ा निवासी मो0 मोहम्मदपुर थाना बहेड़ी जनपद बरेली

बरामदगी:- एक लड़की का गट्टा, एक रस्सी, एक छुरी लोहा, एक गंडासा लोहा, एक बछड़ा गौवंशीय जिन्दा, एक अदद तमंचा .315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस, एक खोखा तमंचे की नाल में फंसा हुआ, दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

अभियुक्त फरमान का अपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 67/17 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवा0 अधि0 थाना बहेड़ी
- 2.मु0अ0सं0 124/18 धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधि0 थाना बहेड़ी
- 3.मु0अ0सं0 356/18 धारा 429 भादवि थाना बहेड़ी
- 4.मु0अ0सं0 626/18 धारा 379 भादवि थाना बहेड़ी
- 5.मु0अ0सं0 659/18 धारा 379 भादवि थाना बहेड़ी
- 6.मु0अ0सं0 983/18 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बहेड़ी
- 7.मु0अ0सं0 1106/18 धारा 429 भादवि थाना बहेड़ी
- 8.मु0अ0सं0 45/20 धारा 188/269 भादवि थाना शेरगढ़
- 9.मु0अ0सं0 634/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना बहेड़ी
- 10.मु0अ0सं0 221/21 धारा 429 भादवि व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता अधि0 थाना बहेड़ी

अपराध करने का तरीका:- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगी अभियुक्तों के साथ मिलकर घुमन्तु गौवंशीय पशुओ को पकड़कर उनका वध कर मांस बेचकर अवैध रूप से धन अर्जित करना ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री श्रवण कुमार सिंह थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।
- 2.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।
- 3.हे0का0 768 अरुण कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।
- 4.का0 1918 प्रशांत कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।
- 5.का0 2225 आकाश राणा थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।
- 6.का0 1348 अमित कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।
- 7.का0 2656 जितेन्द्र कुमार थाना बहेड़ी जनपद बरेली ।